

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 2023 / 608 / 2023

दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 608/23 अगवान शिवराज पिता सोस्या कंजर नि. ईटुन्दा बनाम संदीप पिता रान्तु कंजर नि. ईटुन्दा, लक्ष्मण पिता जगन्नाथ मीणा नि. भटखेडी मनोज पिता जयसिंह कंजर नि. ईटुन्दा वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयाकित्त उनवान के प्रकरण में ग्राम उदा का खंडा प. ह. विजेंठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 120/8, 34, 34/1, 36 कुल किता 4 रकबा 1. 5217 हैक्टैयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

by  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)

शिवराज पिता सोस्था कंजर नि. इंदुन्दा

बनाम

सदीप पिता सन्तु कंजर नि. इंदुन्दा वगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 608/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
19-06-23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उदा का खेडा प. ह. बिजेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 120/8, 34, 34/1, 36 कुल किता 4 रकबा 1.5217 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगडी करवाये जाने की आवश्यकता है अतः उक्त आराजी की पत्थरगडी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक प्रक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगडी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगडी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 राले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम उदा का खेडा प. ह. बिजेठा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 120/8, 34, 34/1, 36 कुल किता 4 रकबा 1.5217 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगडी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 19.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

*De*  
उपस्थान्त अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)